संख्या-16 /2024/ 237 /001-53-2002(001)/13/2022

प्रेषक,

राम सहाय यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 27 मार्च, 2024**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 2500.00 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में अनुदान व रियायतों के भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-514/दुग्ध-9/उ0प्र0दु0वि0दु0उत्प0प्रो0नीति-2022/2023-24 दिनांक 13 मार्च, 2024 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-16, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग(दुग्धशाला विकास) के अधीन लेखाशीर्षक "2404-डेरी विकास-102-डेरी विकास परियोजनाएं-11-उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू0 2500.00 लाख में से शासनादेश संख्या-27/2023/482/001/53-2002(001)/13/2022, दिनांक 21 जुलाई, 2023 के द्वारा प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 65.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। अवशेष धनराशि रू0 2435.00 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 28.83 लाख(रूपये अट्ठाईस लाख तिरासी हजार मात्र) की निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्ध

(1) धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना विषयक गाईडलाइन्स का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(2) प्रश्नगत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्य एवं मदों हेतु किया जायेगा, जिस हेतु धनराशि का बजट प्राविधान किया गया है, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 की होगी।

(3) प्रश्नगत धनराशि का व्यय बजट प्राविधान से इतर कार्य/मदों में किया जाना वित्तीय अनियमितता होगी ।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा ।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि को निर्धारित मद में व्यय कराने व उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने का दायित्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य/मद हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित है।

(7) उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 का होगा।

(8) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहने का उत्तरदायित्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 का होगा ।

(9) वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

(10) विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।

(11) कोषागार से एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाये, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(12) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि में से अनुरक्षण मद में कोई धनराशि व्यय नहीं की जायेगी। यदि किसी अनुरक्षण मद पर कोई व्यय आवश्यक हो, तो संबंधित दुग्ध संघ/समितियां अपने संसाधन से वहन करेगें।

(15) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 एवं इस नीति के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या-104/53-1-2023, दिनांक 20 फरवरी, 2023 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश में निहित प्राविधानों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 28,83,000 लाख(रुपये अट्ठाईस लाख तिरासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 016 **लेखा शीर्षक** 2404001021100 उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 **मानक मद** 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-1-701-X-2023-24, दिनांक- 22 मार्च, 2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राम सहाय यादव
विशेष सचिव।

संख्या-16 /2024/237(1) /001-53-2002(001)/13/ 2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, लखनऊ/प्रयागराज ।
3- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज ।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त(व्यय-नियन्त्रण)अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-3, उ0प्र0 शासन।
7- दुग्ध विकास अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
8- वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
पंकज कुमार सिंह
अनु सचिव।

http://shasan

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।